


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 976]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2015/वैशाख 21, 1937

No. 976]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2015/VAISAKHA 21, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2015

का.आ. 1250(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 814(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"11. श्री विवेक नारायण शेजवाल्कर,
मेयर,
नगर निगम,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

—सदस्य"

- (ii) क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"14. डॉ. सुकुमार देवोता,
पूर्व-निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान,
नागपुर।

—सदस्य"

[फा. सं.15014/21/2009-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार (सीपी)

टिप्पण : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 998(अ), तारीख 21 सितंबर, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम पुनर्गठन, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 814(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2015

S.O. 1250(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and sub-section (6) of section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number. S.O. 814(E), dated the 23rd March, 2015, namely:—

In the said notification,—

- (i) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“11. Shri Vivek Narayan Shejwalkar, —Member”
Mayor
Municipal Corporation,
Gwalior, Madhya Pradesh

- (ii) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“14. Dr. Sukumar Devotta, —Member”
Ex-Director, National Environmental Engineering research Institute,
Nagpur.

[F. No. 15014/21/2009-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Adviser (CP)

Note : The Principal notification constituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 998(E) dated the 21st September, 1974 and last reconstituted *vide* notification number S.O. 814(E), dated the 23rd March, 2015.